पिपरिया

की

जलप्रदाय आवर्धन योजना

का अध्ययन

रेहमत / गौरव द्विवेदी
मंथन अध्ययन केन्द्र, बड़वानी
manthan.kendra@gmail.com
फोन — 07290 - 222857

प्रस्तावना

विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के प्रभाव में दुनियाभर में नीतिगत बदलाव हुए हैं। अपने देश में भी नेशनल अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (50 करोड़ डॉलर), नेशनल अरबन रिफॉर्म फण्ड (40 करोड़ डॉलर) जैसे छोटे कर्जों और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एवं केपेसिटी बिल्डिंग (4 करोड़ डॉलर) जैसी तकनीकी सहायता के कारण जलक्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव किए गए हैं। जिससे जलप्रदाय व्यवस्था के परिदृष्य में आमूलचूल बदलाव आया है। इसी के परिणामस्वरूप देशभर में जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के नए नाम पर पानी के निजीकरण जारी है। पहले यह **जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन** (JnNURM) और इसके तहत **छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना** (UIDSSMT) के माध्यम से जारी रहा जो अब नए नाम से जारी रहेगा।

UIDSSMT के प्रति देशभर के नगरीय निकायों ने अच्छा उत्साह दिखाया। अगस्त 2010 तक के पहले ढाई वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19,936 करोड़ रुपए की लागत वाली 979 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनमें से 10,478 करोड़ रुपए की 524 योजनाएँ जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की संख्या 843 थी जिनकी कुल लागत 18,506 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार यूआईडीएसएसएमटी में 93% राशि पानी से संबंधित योजनाओं पर खर्च की गई।

मध्यप्रदेश में भी यूआईडीएसएसएमटी की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ा है। जुलाई 2014 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के 113 शहरों में 2857 करोड़ रुपए की 180 योजनाएँ जारी है जिनमें से 2367 करोड़ रुपए की लागत वाली 99 शहरों की 114 योजनाएँ पानी संबंधित है। होशंगाबाद की योजना नाम के लिए जुलाई 2014 से प्रारंभ हो चुकी है लेकिन इसका संचालन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पिपरिया को अनुदान की दूसरी किश्त मिल चुकी है लेकिन क्रियांवयन के मामले में बहुत पिछड़ी है। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार इटारसी की योजना निर्माण में अत्यधिक पिछड़ी है। तेंदूखेड़ा और करेली में भी इन योजनाओं को लागू किया जाना है।

UIDSSMT के तहत मध्यप्रदेश की खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। इन योजनाओं में लगने वाला 90% धन इस देश की जनता का है लेकिन छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को सारे मुनाफे का मालिक बना दिया गया है। UIDSSMT में जलप्रदाय योजनाओं का पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है तथा वहाँ इसका विरोध जारी है।

UIDSSMT मार्च 2014 में समाप्त किया जा चुका है। अत: जलप्रदाय व्यवस्था के निजीकरण को छोटे–बड़े हर नगरीय निकाय तक सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** बनाई है जिसमें पहले से ही तय है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही जलप्रदाय योजनाएँ संचालित की जाएगी। पानी के लिए हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पहले चरण में 37 नगरों में लागू की गई थी। योजना के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 651 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा मार्च 2014 तक 977 करोड़ की 72 योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी है। योजना में तरीचर कलां, टोंक खुर्द और नामली जैसे ग्रामीण क्षेत्र, भीकनगाँव, कुक्षी, बदनावर और बड़वानी जैसे छोटे निकाय और धार, शहडौल और नीमच जैसे मझौले नगर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना भी जारी है जिसके तहत 70 प्रतिशत केन्द्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 157 करोड़ की 11 योजनाएँ स्वीकृत हैं जिनमें से सेंधवा, महेश्वर और आलीराजपुर की योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। सेंधवा में योजना के तहत किए जा रहे सुधारों के विरोध में सुर उठने प्रारंभ हो चुके हैं।

मध्यप्रदेश के शहरों में पेयजल वितरण की स्थिति

प्रतिदिन	1 दिन छोड़कर	2 दिन छोड़कर	3 या अधिक दिन छोड़कर
176	97	47	40

स्रोत – मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना दस्तावेज

वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ संचालित करने हेतु 'मध्यप्रदेश जल निगम' का गठन कर इसे पेयजल प्रदाय एवं मल निकास के संबंध नीतिगत निर्णय हेतु राज्य की शीर्ष संस्था का दर्जा दिया है। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं हैं तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित, संचालित ग्रामीण समूह नलजल योजनाओं को भी जल निगम को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है।

चूँकि जल निगम के लिए निधि राज्य एवं केन्द्र सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त करने का भी प्रावधान रखा गया है इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में 69.80 करोड़ बुंदेलखण्ड राहत पैकेज से तथा नर्मदा शिप्रा लिंक योजना 10 करोड़ रुपए भी अंतरित किए हैं। साथ ही 400 करोड़ रुपए नाबार्ड से कर्ज लिया है।

जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों, डिवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल वसूली का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है। लेकिन वर्तमान में जारी टेण्डर और पात्रता की अभिरुचि (आरएफक्यूक) से पता चलता है कि ये योजनाएँ या तो 10 वर्षों के संचालन–संधारण या फिर आकल्पान, निर्माण, निवेश, संचालन और वापसी (DBFOT) के तहत निजी कंपनियों को दिया जाना प्रस्तावित की गई है

जल निगम अब तक 73 समूह जलप्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी जा चुका है जिनसे 3175 गाँव लाभान्वित होने हैं। सीहोर जिले की मर्दानपुर समूह योजना तथा रायसेन जिले की सेमरीकलां समूह योजनाएँ अपेक्षाकृत बड़ी है जिनसे क्रमशः 182 एवं 105 गाँवों के लाभांवित होने की बात कहीं गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नर्मदा–क्षिप्रा लिंक को भी समूह योजना मानते हुए इससे 331 गाँवों के लाभांन्वित होने जिक्र है।

जुलाई 2013 में प्रदेश सरकार ने **म॰प्र॰ जल विनियमन कानून** पारित किया है। इस कानून के तहत बनने वाला **जल विनियामक आयोग** प्रदेश में बाजार के सिद्धातों के अनुसार पानी का उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ लेने की क्षमता पानी का व्यापार करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत नागरिकों के जल अधिकारों को नकार दिया जाएगा।

पिपरिया की जलप्रदाय योजना

इटारसी–जबलपुर रेलमार्ग पर स्थित पिपरिया होशंगाबाद जिले का एक प्रमुख नगर है। मध्यप्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल पचमड़ी पहुँचने के लिए यह निकटतम रेल्वे स्टेशन है। करीब 5 वर्ग किमी के दायरे में फैले नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 48,828 है।

पिपरिया सतपुड़ा नेशनल पार्क के करीब होने के कारण यहाँ जल संसाधन समुचित मात्रा में मौजूद है। नर्मदा की एक छोटी सहायक नदी मछवासा के नगर के बड़े हिस्से से होकर गुजरने के कारण यहाँ का भूजल स्तर अपेक्षाकृत कम गहराई पर है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1340 मिमी है।

वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था

नगर की जलप्रदाय व्यवस्था भूजल आधारित है। पिपिरया मध्यप्रदेश के उन चुनिंदा नगरों में शामिल है जहाँ दिन में दो बार–एक–एक घण्टा सुबह–शाम–जलप्रदाय होता है। नगर के जो मोहल्ल ओवरहेड टेंक से नहीं जुड़े है तथा जहाँ ट्यूबवेल से सीधी सप्लाई है वहाँ एक बार में 3-4 घण्टे तक जलप्रदाय होता है। मोटे अनुमान के अनुसार करीब एक चौथाई परिवारों के पास अपने निजी बोरवेल भी हैं। गरीब बस्तियों में जहाँ वितरण लाईनें नहीं है वहाँ हेण्ड पंप है। कॉलोनियों की अपनी जलप्रदाय व्यवस्थाएँ है।

वर्तमान मे नगरपालिका के पास 22 टयूबवेल हैं जिन पर 7½ से 15 हार्सपॉवर तक की मोटरें लगी है। नर्मदा जल आवर्धन हेतु बनाई गई विस्तृत परियोजना रपट के अनुसार पिपरिया में रोजाना 45 लाख लीटर (4.5 एमएलडी) जलप्रदाय होता है।[1] वितरण हानियों को घटाकर करीब 43 लाख लीटर (4.27 एमएलडी) नलों तक पहुँचाया जाता है जो पिपरिया की वर्तमान जनसंख्या 48,828 के हिसाब से हर व्यक्ति के हिस्से औसतन साढ़े 87 लीटर/दिन आता है। डीपीआर में 85 लीटर/व्यक्ति/दिन का उल्लेख है। सलाहकार ने डीपीआर में पिपरिया की जलप्रदाय योजना को 'ठीक तरह से संचालित नहीं हो रही' तथा 'बहुत ही बुरी हालत में' बताया है।[2] जबकि पिपरियो के नागर स्थानीय जलप्रदाय व्यवस्था को अच्छी बताते हुए नगर में जलसंकट को सिरे से खारिज करते हैं।

पिपरिया में 5052 नल कनेक्शन है जिनमें 35-40 कमर्शियल कनेक्शन है। घरेलू कनेक्शन की दर 60 रुपए और कमर्शियल कनेक्शन की 300 रुपए मासिक है।

पिपिरिया की नई जलप्रदाय योजना

नगरपालिका ने वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था को अपर्याप्त मानते हुए नई योजना बनाई है। पिपरिया की वर्ष 2042 की जनसंख्या 87,500 के लिए 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से 11.81 एमएलडी पानी की जरूरत बताई गई है। वर्तमान जलप्रदाय को वर्ष 2042 के हिसाब से आवर्धित करने हेतु 25 करोड़ से अधिक[3] की नई जलप्रदाय योजना को UIDSSMT के तहत स्वीकृत करवाया गया है। पहले चरण वर्ष

---

[1] योजना को अत्यंत जरूरी सिद्ध करने हेतु जलप्रदाय के आँकड़ों को कम दिखाया जाता है। रिफार्म एजेण्डा में तो वर्तमान जलप्रदाय 65 लीटर/व्यक्ति/दिन यानी मात्र 3.17 एमएलडी तथा दिन में सिर्फ एक बार आधा घण्टा जलप्रदाय दर्शाया गया है। आपसी बातचीत में तो अधिकारी इससे भी कम जलप्रदाय बताते हैं।

[2] योजना डीपीआर का प्राक्कथन वाला हिस्सा, पृष्ठ - 6

[3] अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग लागतें दर्शाई है। सलाहकार वास्तुशिल्पी द्वारा जून 2011 में योजना की लागत 24 करोड़ 85 लाख आकलित की थी। इसकी पहली तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति 24 करोड़ 19 लाख थी। 5 नवंबर 2011 के एक पत्र में वास्तुशिल्पी ने योजना लागत 23 करोड़ 81 लाख बताई है। 16 दिसंबर 11 के मुख्य अभियंता के पत्र में 24 करोड़ 8 लाख दर्शाई है। 8 फरवरी 2012 को जारी निविदा प्रपत्र में योजना लागत 23 करोड़ 48 लाख है। एसएमसी कंपनी को योजना निर्माण का ठेका 25 करोड़ 83 लाख में दिया गया। फरवरी 2014 में फिल्टर प्लांट का स्थान बदलने के कारण लागत में 1 करोड़ 79 लाख की और वृद्धि हो गई। इस समय तक लागत 27 करोड़ 62 लाख हो चुकी थी।

2027 की जनसंख्या 66,500 के लिए 10.56 एमएलडी क्षमता की पंपिंग मशीनरी स्थापित की जाएगी। 2300 किली क्षमता की पुरानी ओवरहेड टंकियों का इस्तेमाल किया जाएगा तथा 1300 किली क्षमता की 2 नई टंकियों का निर्माण किया जाएगा।

मई 2005 से नगर में पुरानी जलप्रदाय व्यवस्था के बदले नई जलप्रदाय योजना बनाने का विचार प्रारंभ हुआ। इसके लिए 7 जून 2005 को नगरपालिका परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पिपरिया से 20 किमी दूर साण्डिया स्थित नर्मदा से नई जलप्रदाय योजना बनाने की सहमति दी। प्रस्ताव में तत्कालीन जलप्रदाय व्यवस्था को तब 40 वर्ष पुराना बताते हुए इससे भविष्य में जलप्रदाय को असंभव बताया था जबकि यही योजना करीब एक दशक बाद वर्तमान में भी सुचारी रूप से संचालित है।

जनवरी 2006 में पिपरिया की इस नर्मदा जल आवर्धन योजना की लागत 7 करोड़ 87 लाख थी लेकिन कंसलटेंट ने जून 2011 में इसकी लागत 3 गुना बढ़ाकर 24 करोड़ 81 लाख कर दी। जबकि इस अवधि में महँगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। जनवरी 2006 में थोक मूल्य सूचकांक 110.3 था जो जून 2011 में बढ़कर 174.7 हो गया अर्थात सूचकांक में 58.59% की वृद्धि दर्ज की गई। इस हिसाब से योजना की लागत केवल 12.47 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार वास्तविक लागत के बराबर ही यानी 12.34 करोड़ की कृत्रिम लागत वृद्धि की गई।[४] सीधे शब्दों में वास्तविक लागत में दुगनी वृद्धि की गई। हालांकि इसके बाद भी लागत बढ़ाई जाती रही।

यूआईडीएसएसएमटी और उसके प्रभाव

2005 में नगरीय बुनियादी ढाँचों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' (JnNURM) के नाम से एक केन्द्रीय योजना बनाई गई थी। छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना' (Urban Infrastructure Develop Scheme for Small and Medium Towns) इसी योजना का हिस्सा है। इसके तहत मिलने वाले अनुदान में केन्द्र और राज्य का हिस्सा क्रमश: 80% तथा 10% है। शेष 10% राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है। पिपरिया, होशंगाबाद और इटारसी की पेयजल आवर्धन योजनाएँ UIDSSMT के तहत स्वीकृत है।

यूआईडीएसएसएमटी जल क्षेत्र में सुधार (सुधार का सामान्य अर्थ है मुनाफे के साथ पूर्ण लागत वसूली, सामाजिक जवाबदेही से परे सबसे वसूली और अंतत: सेवाओं का निजीकरण) को बढ़ावा देने वाली योजना है। इस योजना का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को आकर्षित करने योग्य बनाना है।

रिफार्म एजेंडा

यूआईडीएसएसएमटी योजना स्वीकार करने वाली राज्य सरकारों और नगरनिकायों को लिखित दस्तावेज पर योजना की शर्तें स्वीकार करनी होती है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग) के साथ स्थानीय निकायों को कानूनी रूप से बाध्य मेमोरण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग (एमओए या रिर्फार्म एजेण्डा) पर हस्थक्षर करने होते हैं। योजना की शर्तों में उल्लेखित सुधार दो श्रेणियों के हैं (1) आवश्यक और (2) ऐच्छिक। ऐच्छिक सुधारों को स्थानीय निकाय अपनी सुविधानुसार थोड़ा आगे–पीछे लागू कर सकते हैं। लेकिन, योजना शुरू होने के बाद 7 वर्षों की अवधि में ही पीपीपी सहित सारी शर्तें पूरी करने की बाध्यता है।

---

[4] थोक मूल्य सूचकांक के आँकड़े केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत के आर्थिक सलाहकार कार्यालय की वेबसाईट - http://www.eaindustry.nic.in/home.asp से 2 दिसंबर 2014 को पाप्त किए गए है।

पिपरिया नगरपालिका द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ जुलाई 2011 में हस्ताक्षरित[5] रिफार्म एजेंडा अत्यधिक लापरवाही से तैयार किया गया है। यह अविश्वसनीय है कि पिपरिया की जलप्रदाय व्यवस्था पर दूरगामी और व्यापक असर डालने वाले इस दस्तावेज को किस तरह हल्के ढंग से लिया गया है। आपसी करार के प्रथम पक्ष नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से तो अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है। केवल द्वितीय पक्ष की ओर से नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर है। इस दस्तावेज के दोनों गवाह भी द्वितीय पक्ष पिपरिया नगरपालिका के कर्मचारी हैं।

मजेदार तथ्य है कि पिपरिया के रिफॉर्म एजेंण्डा की शुरूआत बिन्दु क्रमांक–1 के बजाय बिंदु क्रमांक–91 से की गई है।

योजना खर्चों की पूर्ण लागत वसूली 7 वें साल से करने का उल्लेख किया है लेकिन यह नहीं बताया कि जब तक पूर्ण लागत वसूली नहीं होती तब तक जलप्रदाय खर्च कैसे चलाया जाएगा। तत्कालीन 8% वसूली को 100% करने की रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है।

पिपरिया के 4,348 परिवार या 24% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। इनके लिए लगाए गए सार्वजनिक नलों को हरसंभव स्तर तक निजी कनेक्शनों में बदलने का वचन दिया गया है।

वित्तीय आंकलन

रिफॉर्म एजेण्डे में दी गई जानकारी के अनुसार पिपरिया नगरपालिका वित्तीय वर्ष 2010-11 में जलप्रदाय पर सालाना 82.3 लाख खर्च करती थी। जबकि इसी अवधि में पानी पेटे मात्र 6.90 लाख रुपए ही वसूल पाई थी जो कि कुल खर्च का मात्र 8.38% होता है।[6] दूसरे शब्दों में नगरपालिका नें जलप्रदाय पर प्रति किली 7.22 रुपए खर्च किए थे जबकि वसूली मात्र 60 पैसे/किली ही हो पाई थी।

पिपरिया नगरपालिका का जलप्रदाय आय–व्यय (लाख रू.)

वर्ष	खर्च			आय	वसूली प्रतिशत
	स्थापना	संचालन/संधारण	कुल		
2011-12	17.46	60.57	78.03	24.39	31.26
2012-13	27.55	49.51	77.06	26.16	33.95
2013-14*	32.37	79.10	111.47	18.35	16.46

स्रोत – नगरपालिका पिपरिया का बजट दस्तावेज वर्ष 2014-15

*अनंतिम आँकड़े। **आय में पिछले वर्षों की बकाया वसूली भी शामिल है।

अगले 2 वित्तीय वर्षों में वसूली दर बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में वसूली दर बढ़ कर खर्च के मुकाबले एक तिहाई तक पहुँच गई थी[7] लेकिन अगले वर्ष 2013-14 में फिर से फिर से फिसल कर 17% से भी कम रह गई। कहने का अर्थ है कि वर्तमान सस्ती जलप्रदाय योजना का संपूर्ण संचालन–संधारण खर्च वसूलने के लिए नगरपालिका को वर्तमान के मुकाबले 3-4 गुना वसूली करनी पड़ेगी। पिपरिया नगरपालिका का जल राजस्व वसूली का निराशाजनक इतिहास नई नर्मदा जल योजना के क्रियांवयन पर कई सवाल खड़े करता है।

---

[5] दस्तावेज में तारीख और नगरनिकाय का नाम भरे जाने वाले स्थान खाली है।

[6] रिफॉर्म एजेण्डा, जुलाई 2011. वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वच्छता पर 1 करोड़ 20 लाख का खर्च करने पर वसूली मात्र 6 लाख ही हो पाई थी। इसी प्रकार प्रश्नाधीन अवधि में आवासीय संपत्तियों से 1.20 लाख और व्यावसायिक संपत्तियों से 50 हजार संपत्ति कर प्राप्त हुआ।

[7] चालू साल की वसूली इससे कम थी। वर्ष 2011-12, एवं 2012-13 में नगरपालिका द्वारा केंप लगाकर वसूली अभियान चलाया गया था जिससे पिछले वर्षो की बकाया राशि की वसूली भी इन वर्षों में हुई थी।

सलाहकार का आँकलन

वर्तमान जलप्रदाय योजना को बुरी और नई योजना को बहुत ही अच्छी सिद्ध करने हेतु कई तरीके अपनाए गए हैं। इन्हीं में से एक है योजना के आय–व्यय का गलत गणित प्रस्तुत कर योजना को फायदेमंद दिखाने का। सरकारी योजनाओं को आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद दिखाने हेतु उसके लाभों को बढ़ाचढ़ा कर पेश किया जाता रहा है। लेकिन सलाहकार तो इस गणित को हास्यास्पद स्तर पर ले गए हैं।

यदि सलाहकार की माने तो पहले साल में ही योजना से 2 करोड़ 43 लाख 59 हजार की आय होगी तथा संचालन संधारण खर्च मात्र आएगा मात्र 29 लाख का। यानी पहले ही साल में योजना से 2 करोड़ 43 लाख 59 हजार का फायदा होगा। दूसरे शब्दों में नगरपालिका चलाने लायक रकम सिर्फ अपनी पेयजल योजना से ही मिल जाएगी। सलाहकार के अनुसार वर्ष 2028 तक योजना नगरपालिका को 31 करोड़ का फायदा करवा देगी।

नर्मदा जल आवर्धन योजना के आय–व्यय का सलाहकार द्वारा किया गया आंकलन

आय (लाख रु.)		व्यय (लाख रु.)	
जलकर • घरेलू @125/माह • व्यावसायिक @250/माह	57.83*	संचालन/संधारण	9.00
नए कनेक्शन • 4000 घरेलू @3500/कनेक्शन • 10 व्यावसायिक @5000/कनेक्शन	140.50	वेतन	10.00
9052 घरों से जलनिकास कर @500/घर/वर्ष	45.26	विद्युत	10.00
योग	**243.59**		**29.00**
पहले वर्ष का शुद्ध लाभ			**214.59**

*नल कनेक्शनों से कुल वसूली योग्य राशि 68.04 आंकलित की गई है। 85% वसूली इतनी होगी।

कोई सामान्य व्यक्ति बता सकता है कि शहर के स्थानीय जलस्रोतों से करीब 4.5 एमएलडी जलप्रदाय करने पर नगरपालिका को सालाना एक करोड़ से अधिक खर्च करने पड़ते हैं तो नगर के बाहर से पानी लाने पर खर्च अधिक ही होगा। लेकिन यहाँ तो सलाहकार ने कमाल ही कर दिया। 20 किमी दूर से 42 मीटर ऊँचाई पर 6.45 एमएलडी जलप्रदाय करने का खर्च वर्तमान खर्च की अपेक्षा एक तिहाई से भी कम कर दिया। जो पानी नगरपालिका को वर्तमान में 9.47 रुपए/किली[८] पड़ रहा है वह चमत्कारिक रूप से घटकर मात्र 3.49 रुपए/किली रह जाएगा। दूरी से पानी लाना सस्ता बना दिया। जितनी दूरी से पानी लाओं उतना सस्ता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस आँकलन पर पिपरिया से लेकर भोपाल तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया।

नगरपालिका सूत्रों[९] और व्यावहारिक दृष्टि से बहुत ही संकुचित आंकलन करने पर योजना का संचालन/संधारण खर्च यदि दुगना भी हुआ तो करीब 2.50 करोड़ सालाना[१०] हो जाएगा। चूँकि योजना की

[8] वित्तीय वर्ष 2010-11 के आँकड़ों के आधार पर रिफॉर्म एजेण्डा में प्रति किली जलप्रदाय खर्च 7.22 रुपए/किली दर्शाया गया है। उस वर्ष के जलप्रदाय खर्च 82 लाख 32 हजार के आधार पर गणना करने पर प्रदाय किए जा रहे पानी की मात्रा 3.12 एमएलडी पाई गई है। पानी की इतनी ही मात्रा की वित्तीय वर्ष 2013-14 के जलप्रदाय खर्च 1 करोड़ 11 लाख 47 हजार से गणना करने पर यह आँकड़ा आया।

[9] नगरपालिका के अधिकारियों के साथ चर्चा के आधार पर आंकलन।

[10] वास्तविक संचालन/संधारण खर्च अधिक होगा। पानी के लम्बे परिवहन के कारण संचालन/संधारण खर्च में बिजली खर्च का हिस्सा अधिक होगा।

शर्तों में 'पूर्ण लागत वसूली' शामिल है इसलिए इतने संचालन खर्च की वसूली 5052[११] कनेक्शनधारियों से करने पर मासिक बिल 413 रुपए/माह वसूलना पड़ेगा यानी दरों में वर्तमान की अपेक्षा करीब 7 गुना वृद्धि।

डीपीआर में जलनिकास कर के रूप में एक नया कर 500 रुपए/परिवार/वर्ष वसूला जाना दर्शाया गया है। यदि इस कर की पृथक से वसूली की गई तो तो दिखावे के लिए जल दरों करीब 40 रुपए/माह की कमी की जा सकती है। लेकिन नागरिकों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि प्रभावी जल दरें वही रहेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगरपालिका जलप्रदाय की अपनी अल्प लागत ही नहीं वसूल पा रही है वह नगर के उन्हीं नागरिकों से 7 गुना अधिक वसूली कैसे कर पाएगी?

जलदरों की चर्चा करते हुए हमें झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले 4,348 बीपीएल परिवारों की क्रय क्षमता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी जैसी जरूरी चीज़ के लिए समाजिक अशांति पैदा न हो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। कम क्रय क्षमता के कारण जो परिवार पानी का 60 रुपया/माह चुकाने में असमर्थ है उनसे जबरन भारी वसूली क्या सामाजिक दृष्टि से उचित है?

यदि मान लिया जाए कि पिपरिया स्थित घरेलू नल कनेक्शनों 5052 से शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए तब भी योजना का संचालन संधारण खर्च वसूलने हेतु जल दरें कम से कम 413 रुपए/माह करनी होगी। यदि नल कनेक्शनविहीन पिपरिया की 4000[१२] संपत्तियों (सभी बीपीएल परिवार) को भी कनेक्शन दे दिए जाए और उनसे भी शतप्रतिशत वसूली की जाए तब भी जल दरें 229 रुपए/माह करनी होगी। हालांकि सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से यह कठिन काम है।

पिपरिया नगरपालिका का बजट आंकलन

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2008-09	7,92,77,500	7,92,56,700	20,800
2009-10	12,19,35,900	12,19,33,800	2,100
2010-11	11,80,60,000	11,80,39,000	2,100
2011-12	18,04,42,500	18,04,31,400	11,100
2012-13	37,84,71,000	37,84,44,000	27,000
2014-15*	354,075,000	353,985,000	90,000

स्रोत–नगरपालिका के बजट दस्तावेज। *अनंतिम आँकड़े

देखा जा रहा है कि यूआईडीएसएसएमटी के तहत बनाई जा रही योजनाएँ अधिक लागत वाली तथा अपेक्षाकृत अधिक संचालन–संधारण खर्च वाली है जिसके कारण जलदरों में अत्यधिक वृद्धि की आशंका है। साथ ही जलदरें बढ़ाना योजना की एक प्रमुख शर्त है, लेकिन जनाक्रोश के डर से स्थानीय निकाय जल दरों में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय निकायों द्वारा जल दरें बढ़ाने में असमर्थता का मुद्दा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय साधिकार समिति की 13 जून 2011 की मीटिंग में भी उठा। मीटिंग में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि योजना की शर्तों में वर्णित सुधारों में प्रगति न हो पाने के कारण केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके कारण राज्य की कई योजनाएँ ठप्प है। उन्होंने उस मीटिंग में शामिल केन्द्र सरकार के अधिकारियों से अनुदान उपलब्ध करवाने का निवेदन करते हुए आश्वासन दिया कि योजना प्रारंभ होने के बाद दरें बढ़ा कर जलप्रदाय, और कचरा

[11] योजना का डीपीआर, पृष्ठ-50. व्यावसायिक कनेक्शन उपेक्षणीय है तथा औद्योगिक कनेक्शन नहीं है इसलिए गणना में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

[12] सलाहकार ने वित्तीय आंकलन में योजना शुरू होने के अगले वर्ष 4,000 नए कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा है। ये नई कनेक्शन इसी वर्ग के होंगें।

निपटान के संचालन–संधारण खर्च की पूर्ण लागत वसूली की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि दरें थोक में बढ़ाई जानी संभव है।

जल दरों में 7 गुना वृद्धि तथा हर परिवार को अलग नल कनेक्शन देना अत्यंत मुश्किल काम है। और यदि यह नहीं हो पाया तो सवाल उठता है कि **वर्ष 2010-11 में 9 करोड़ 92 हजार 708 रुपए[१३] के सालाना बजट वाली नगरपालिका के पास जलप्रदाय योजना को संचालित करने हेतु धन आएगा कहाँ से?** नगरपालिका के पास इस मद में राशि नहीं होगी इसलिए उसे अन्य मदों की राशि पेयजल पर खर्च करनी पड़ेगी और धन के अभाव में नगर का विकास अवरूद्ध हो जायेगा। संभव है पाईपलाईनें डालने से खुदी हुई सड़कें वर्षों तक इसी हालत में रहे। संक्षेप में आसानी से पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर स्वीकार की गई योजना के परिणाम नगर को भोगने ही पड़ेंगें।

जल संकट का सच

पानी की कमीऐसा जुमला है जिसके बारे में लगभग अधिकांश लोग एकमत होते हैं। कुछ लोग यह समझाते हैं कि पानी की कमी है तो ज्यादातर यह समझ जाते हैं। इस संबंध में आँकड़ों का प्रदर्शन भी होता है लेकिन इन आँकड़ों का वास्तविक जलप्रदाय या तंत्र की क्षमता से कम ही संबंध होता है।

हालांकि पिपरिया में तो आँकड़ों और वास्तविक जलप्रदाय से भी कहीं जल संकट सिद्ध नहीं होता है। लेकिन फिर भी योजना बनाने वालों ने तो यहाँ भी जलप्रदाय व्यवस्था को बहुत बुरी हालत[१४] में बताते हुए गंभीर जल बताते हुए कृत्रिम जल संकट निर्मित कर नई योजना के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है।

पिपरिया में पानी की वास्तविक जरूरत

परिवार		**जनसंख्या** (5.394सदस्य / परिवार)	**मानक** (लीटर)*	**माँग** (किली / दिन)
कनेक्शनधारी	4,052	21,856	70	1530
कनेक्शन+जेटपंपधारी	1,000**	5,394	40	216
गैर कनेक्शनधारी	4,000#	21,576	40	863
योग	**9,052**	**48,826**		**2609**

*Table 2.1 of CPHEEO guidelines, 1999, **स्थानीय नागरिकों के अनुसार। #नगरपालिका ने योजना शुरू होने के बाद पहले वर्ष में 4,000 नए कनेकशन देने का लक्ष्य रखा है अर्थात इन परिवारों के पास नल कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार पिपरिया के कुल परिवारों का आँकड़ा 9,052 सामने आया।

योजना के डीपीआर में पिपरिया में 45 लाख लीटर/दिन जलप्रदाय होना दर्शाया गया है। साथ ही पिपरिया की वर्ष 2011 की आकलित जनसंख्या 53,900 के लिए 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से 79 लाख 40 हजार लीटर/दिन की आवश्यकता साबित की। इस प्रकार 34 लाख 40 हजार लीटर/दिन की कमी बताते हुए नई नर्मदा योजना की आवश्यकता सिद्ध कर दी। लेकिन क्या पिपरिया में सचमुच जल संकट है?

---

[13] वर्ष 2010-11 के बजट दस्तावेज में संभावित आय का आंकलन 11 करोड़ 80 लाख रुपए किया गया है लेकिन वर्ष 2012-13 के बजट दस्तावेज में वास्तविक आय का आँकड़ा इतना ही है। 2011-12 के बाद से नगरपालिका को विभिन्न योजनाओं हेतु एक बार प्राप्त होने वाले अनुदानों के कारण बजट का आकार अस्थाई रूप से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इन अनुदानों को नजरअंदाज कर दें तो मूल बजट आकर लगभग इतना ही होगा।

[14] योजना डीपीआर का प्राक्कथन वाला हिस्सा, पृष्ठ - 6

नगरपालिका द्वारा घरों तक पहुँचाए जाने वाले 43 लाख लीटर पानी को समान रूप से वितरित किया जाए तो नगर के हर नागरिक के हिस्से 88 लीटर/व्यक्ति/दिन आएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सबको 88 लीटर/व्यक्ति/दिन पानी मिलता ही है।

प्रति व्यक्ति औसत जलप्रदाय के आँकड़े उतने ही भ्रामक होते हैं जितने देश में प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े होते हैं। ये आँकड़े कुल जलप्रदाय के गणितीय औसत भर होते हैं और इनका वास्तविकता से बहुत संबंध नहीं होता है। हर व्यक्ति को मिलने वाले पानी की वास्तविक मात्रा खुद के घर में नल कनेक्शन होने या सार्वजनिक नलों से पानी भरने, पानी भरने हेतु विद्युत मोटर का इस्तेमाल करने या न करने, जलप्रदाय ओवरहेड टंकी से होने अथवा राईज़िग लाईन से होने की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वितरण लाईन का व्यास, खास वितरण लाईन पर कनेक्शनों की संख्या, सर्विस लाईन की लम्बाई आदि कारक भी जलप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। पिपिरिया के संदर्भ में देखें को निजी जेट पंपधारी परिवार को नगरपालिका के जलप्रदाय की अपेक्षाकृत कम जरूरत होती है लेकिन यदि उनके घर में नल पर टोटी नहीं लगी हो पानी अनावश्यक बर्बाद होगा और अन्य लोगों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी।

डीपीआर में CPHEEO दिशानिर्देशों[१५] का उल्लेख करते हुए 135 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय के हिसाब से पानी की गणना की गई है। जबकि, पिपरिया जैसे छोटे कस्बों के लिए 135 एलपीसीडी का मानक सही नहीं है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कस्बों में भूमिगत मलनिकास प्रणाली (सीवर सिस्टम) नहीं हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति ही आवश्यक होती है। इसी प्रकार सार्वजनिक पेयजल स्रोतों से पानी लेने वालों का मानक 40 लीटर/व्यक्ति/दिन निर्धारित है। सार्वजनिक नलों पर निर्भर परिवारों की संख्या 4,000 है। इसके अलावा पिपरिया के करीब 1,000 नल कनेक्शनधारी परिवारों के पास अपने निजी जेट पंप भी है। इन परिवारों की नगरपालिका के जलप्रदाय पर निर्भरता कम है इसलिए इन्हें भी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों से पानी लेने वालों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

शहर में जलप्रदाय का मुख्य स्रोत नगरपालिका के बोरवेल हैं। नगरपालिका अपनी सुविधा के अनुसार जलप्रदाय कभी 43 लाख लीटर/दिन तो कभी 35 लाख लीटर/दिन दर्शाती है।[१६] डीपीआर में बोरवेल से प्रति घण्टा 8 से 10 हजार गैलन की क्षमता का उल्लेख है इस हिसाब से प्रतिदिन जलप्रदाय 36 से 54 लाख लीटर होना चाहिए।[१७] लेकिन, ये सारे आँकड़े अंदाजन हैं और इनका कोई आधार नहीं है। वास्तव में कितना जलप्रदाय हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पानी नापने वाले फ्लो मीटर न तो किसी ट्यूबवेल पर लगे हैं और न ही किसी ओवरहेड टंकी पर। लीकेज से संबंधित कोई जानकारी

---

[15] केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation) की जलप्रदाय एवं जल शुद्धिकरण पर 797 पृष्ठों की एक वृहत मार्गदर्शिका प्रकाशित है। देशभर में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए इसी मार्गदर्शिका का आधार लिया जाता है।

[16] योजना के डीपीआर में 4.27 एमएलडी, रिफार्म एजेण्डा में 3.17 एमएलडी और नगरपालिका के अधिकारी मात्र 3 एमएलडी जलप्रदाय बताते हैं।

[17] ऐसा लगता है कि पहले कुल जलप्रदाय की मात्रा तय की गई और उसी में ट्यूबवेल की क्षमता की गणना की गई है। किसी खास ट्यूबवेल अथवा सारे ट्यूबवेलों की क्षमता निकालने की कोई कारवाई के कोई प्रमाण नहीं है।

संधारित नहीं है। आज की स्थिति में वास्तविक जलप्रदाय की सही मात्रा की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रति व्यक्ति जलप्रदाय के आँकड़े भी कपोलकल्पित और निहित उद्देश्य से तैयार किए गए जान पड़ते हैं।

43 लाख लीटर पानी 48,826 की जनसंख्या वाले पूरे शहर को 87 एलपीसीडी के हिसाब से प्रदाय हो रहा है। यदि इस जलप्रदाय से वह 19,531 जनसंख्या कम कर दी जाए जहाँ तक नगरपालिका की जलप्रदाय लाईनें नहीं हैं[१८] तो शेष 29,297 लोगों को 148 एलपीसीडी के हिसाब से जलप्रदाय हो रहा है। यह जलप्रदाय महानगरों के मानक 150 एलपीसीडी के बराबर है। इस प्रकार पिपरिया प्रदेश के सर्वाधिक जलप्रदाय करने वाले नगरों में शामिल हैं।[१९] नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सर्विस लेवल बैंचमार्क के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रदाय 167 एलपीसीडी राजधानी भोपाल में होता है।[२०] बेहतर व्यवस्था और मानक से अधिक जलप्रदाय के बावजूद पिपरिया जैसे नगर के लिए नई नर्मदा जल आवर्धन योजना की जरूरत क्यों और किसे है?

जलप्रदाय के उच्च मानकों का उपयोग करते हुए पानी की कृत्रिम माँग बढ़ाना योजना की लागत बढ़ाने का एक तरीका है। सलाहकार योजना लागत के आधार पर अपनी फीस लेते हैं। योजना की लागत जितनी ज्यादा होगी उसी अनुपात में उनकी फीस भी ज्यादा होगी।

CPHEEO दिशानिर्देशों के सही मानकों के अनुसार नगर में 26 लाख 9 हजार लीटर प्रतिदिन या 2.609 एमएलडी जलप्रदाय की जरूरत है।[२१] इस हिसाब से नगर में जरूरत की अपेक्षा कहीं अधिक जलप्रदाय हो रहा है। हालांकि डीपीआर में 85 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय दिखाया गया है जो पिपरिया जैसे नगर के उच्च मानको से 15 लीटर/दिन अधिक है। डीपीआर बनाने और बनवाने वाले जलप्रदाय की इस बेहतर स्थिति को जल संकट सिद्ध कर क्या दर्शाना चाहते हैं?

शहर में जरूरत से लगभग दुगनी जल उपलब्धता होने के बावजूद जल संकट का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। नगर में जल संकट दिखाने के लिए रिफार्म एजेण्डे में प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्र 65 लीटर प्रतिदिन जलप्रदाय का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि आधारहीन तथ्य प्रस्तुत कर डीपीआर तैयार

---

18 नगरपालिका के अनुसार शहर के केवल 60% इलाके तक पेयजल पाईप लाईनों का विस्तार है। कॉलोनियों में कॉलोनाईजरों की अपनी पेयजल व्यवस्था है। रिफॉर्म एजेंडा के अनुसार नगर की एक चौथाई गरीब बस्तियाँ नगरपालिका के जलप्रदाय की पहुँच से दूर है। पेयजल पाईप लाईनविहीन 40% इलाके में गरीब बस्तियाँ और कॉलोनियाँ दोनों ही शामिल है।

19 पिपरिया के नागरिकों से जलप्रदाय के बारे में चर्चा करने पर सभी ने एकमत से कहा कि पिपरिया में पानी की कोई कमी नहीं है। दस्तावेजों में वर्णित जलसंकट की जानकारी देने पर वे चौंक जाते हैं।

20 सर्विस लेवल बैंचमार्क, 27 जनवरी 2011 के अनुसार भोपाल के बाद प्रदेश में रीवा (135), उज्जैन (133), सागर (122), ग्वालियर (109), छिंदवाडा (103), सिहोरा (जबलपुर) (100), मंडला (99), होशंगाबाद (98), और जबलपुर (97) में सर्वाधिक जलप्रदाय किया जाता है। यहाँ शहर के नाम के बाद कोष्ठक में लिखी संख्या उस शहर में प्रतिदिन किए जाने वाले जलप्रदाय की मात्रा दर्शाती है। यदि पिपरिया में जलप्रदाय के सही आँकड़े प्रस्तुत किया जाता तो पिपरिया प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रदाय वाला दूसरा नगर होता।

21 CPHEEO मानकों के अनुसार बिना मलनिकास प्रणाली वाले शहरों में हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जलप्रदाय का मानक 70 लीटर तथा सार्वजनिक नलों से पानी लेने वालों के लिए 40 लीटर का मानक है। यदि पूरे शहर को अधिकतम मानक 70 लीटर के हिसाब जलप्रदाय करने पर भी शहर की दैनिक जरूरत 34 लाख 18 हजार लीटर होती है जो वर्तमान जलप्रदाय 43 लाख लीटर/दिन से कहीं कम है।

करने वाली सलाहकार फर्म ही निर्माण के दौरान इस योजना की निगरानी भी कर रही है। ऐसे में शहर की पेयजल योजना का भविष्य क्या होगा?

लागत बढ़ाने की जुगत

चूँकि UIDSSMT के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध है इसलिए स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। इस कारण स्थानीय परिस्थितियों और संसाधनों के अनुरूप योजनाओं की उपेक्षा की जा रही है। पिपरिया में भी यही सामने आया है।

डीपीआर बनने के बाद में भी समय–समय पर योजना की लागत साढ़े तीन करोड़ से अधिक बढ़ाई गई है लेकिन इस पर किसी ने कोई आपत्ति ली हो, ऐसा न तो सुने को मिला और न ही किसी दस्तावेज में ऐसी जानकारी मिली। डीपीआर में योजना लागत 24 करोड़ 8 लाख थी। लेकिन टेण्डर 25 करोड़ 83 लाख का स्वीकृत किया गया है। इसी कारण 24 करोड़ 19 लाख की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति बढ़ाकर 25 करोड़ 83 लाख की जारी की गई। निर्माण के दौरान जल शुद्धिकरण संयंत्र (WTP) के स्थल में बदलाव के नाम फिर पर 1 करोड़ 79 लाख की लागत बढ़ा दी गई। इस प्रकार टेण्डर होने के बाद लागत में अभी तक 3 करोड़ 54 लाख की वृद्धि कर अब तक योजना की लागत 27 करोड़ 62 लाख की जा चुकी है।

27 जनवरी 2012 को जारी 25 करोड़ 48 लाख संशोधित स्वीकृति के पत्र में यह शर्त जोड़ी गई थी कि ''योजना की मूल स्वीकृत राशि से निविदा उपरांत बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी नगारपालिका परिषद पिपरिया की होगी'' लेकिन बढ़ाई गई समस्त लागत की प्रतिपूर्ति शासन से हो गई।

योजना के प्रभाव

सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से भरे समाज में महँगी जलप्रदाय योजनाओं के बहुआयामी एवं दूरगामी परिणाम होंगें। जलप्रदाय व्यवस्था का संचालन कल्याणकारी कर्तव्य के बजाय बाजार के नियमों से होगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति जवाबदेही को सिरे नकार दिया जाएगा। सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाएगा।

आपातकालीन परिस्थिति

पिपरिया में जलप्रदाय व्यवस्था विकेन्द्रीकृत टयूबवेलों के माध्यम से की जाती है। विकेन्द्रीकृत जलप्रदाय का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी मोहल्ले का टयूबवेल खराब हो तो उस मोहल्ले को दूसरे टयूबवेल से जलप्रदाय कर दिया जाता है। नगर के सारे टयूबवेल एक साथ खराब नहीं होंगें इसलिए जलप्रदाय व्यवस्था प्रभावित होकर भी जारी रखी जा सकती है। लेकिन नर्मदा से जलप्रदाय इस विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को खत्म कर नागरिकों के लिए संकट पैदा कर सकता है। किसी भी कारण से इस योजना के असफल/खराब होने पर नगर में पानी के अभाव में त्राहि–त्राहि मच सकती है क्योंकि उपेक्षा के कारण वर्तमान जलस्रोत उपयोगलायक नहीं रह पायेंगें या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा।

इस संबंध में हाल ही में **मालदीव** में हुए जल संकट से सीख ली जा सकती है। दिसंबर 2014 के पहले सप्ताह में मालदीव का एकमात्र जलशोधन संयंत्र अचानक खराब हो गया था और हिन्द महासागर के अथाह पानी से घिरी इस छोटे से देश की एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली टापुनुमा राजधानी माले में हाहाकार मच गया था। मालदीव को पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद माँगनी पड़ी। इसके बाद वहाँ भारत तथा श्रीलंका से पहले 250 टन पानी हवाई जहाज से पहुँचाना पड़ा था। बाद में भारतीय नौसैना के

जहाजों को भी करीब 2,000 टन पानी लेकर वहाँ भिजवाया गया था। साथ ही, इन जहाजों के जलशोधन संयत्रों से माले शहर को एक सप्ताह तक जल आपूर्ति की गई थी।

कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय

पिपरिया नगरपालिका ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ हस्ताक्षरित रिफार्म एजेंण्डे में प्रशासनिक सुधार के नाम पर स्वीकार किया है कि जलप्रदाय से जुड़े कर्मचारियों को स्वैच्छिक (अनिवार्य) सेवानिवृत्ति दी जाएगी और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों को नहीं भरा नहीं जाएगा।

निजीकरण की संभावना

पिपरिया नगरपालिका द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि यहाँ पानी का निजीकरण या पीपीपी के तहत निजी कंपनी को दिए जाने की कोई योजना नहीं है और नगरपालिका स्वयं अपने संसाधनों से इस योजना को संचालित करेंगी। जबकि तथ्य नगरपालिका के इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं। रिफॉर्म एजेंडे के संलग्नक में सारी शर्तों का उल्लेख होता है और उन्हें क्रियांवित किए जाने का वर्ष भी नगरीय निकायों को पहले से ही दर्शाना होता है। पिपरिया नगरपालिका द्वारा हस्ताक्षरित रिफार्म एजेंडे में Public Private Partnership को सातवें वर्ष से लागू किए जाने का वचन दिया गया है। लेकिन पिपरिया नगरपालिका का राजस्व वसूली का इतिहास बताता है कि इतनी महँगी योजना का संचालन नगरपालिका के बूते से बाहर की बात है। इस अकेली योजना के बोझ तले पूरी नगरपालिका दब जाएगी और इससे मुक्ति पाना चाहेगी। ऐसे में पानी का निजीकरण अपेक्षा से काफी पहले करना पड़ेगा। निजीकरण होने पर राजस्व बढ़ाने हेतु दरें बढ़ाई जाएगी, सबको नल कनेक्शन दिए जाएँगें और सार्वजनिक जलस्रोत बंद कर दिए जाएंगें।

नर्मदा पर मध्यप्रदेश का अधिकार

अधिकांश पिपरियावासियों के लिए गैरजरूरी नर्मदा जलप्रदाय योजना के बारे में नगर में यह प्रचारित किया जा रहा है कि वर्ष 2024 के बाद नर्मदा जल पर गुजरात का अधिकार हो जाएगा तथा मध्यप्रदेश का इस पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।[२२] शासकीय स्तर पर नर्मदा जल का अधिकतम उपयोग 2024 के पूर्व कर लिए जाने के बयानों से भी इस अफवाह को बल मिलता है।[२३] वास्तव में गुजरात में निर्माणाधीन सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में नर्मदा जल के बँटवारे हेतु 1979 में एक न्यायाधिकरण का फैसला हुआ है।[२४] फैसले में नर्मदा में साल भर में बहने वाले पानी की मात्रा 28 एमएएफ (मिलियन एकड़ फूट) मानते हुए नर्मदा जलविवाद न्यायाधिकरण द्वारा 9 एमएएफ गुजरात, 0.50 एमएएफ राजस्थान, 0.25 एमएएफ महाराष्ट्र को और शेष 18.25 एमएएफ मध्यप्रदेश को आवंटित किया। इस न्यायाधिकरण की एक शर्त के अनुसार 45 वर्षो, जो 2024 में पूर्ण होंगें, तक इस जल बँटवारे की समीक्षा नहीं की जा सकेगी यानी राज्यों को आवंटित पानी की मात्रा में कोई बदलाव नही किया जा सकेगा। नर्मदा न्यायाधिकरण की

---

[22] नर्मदा योजना के पैरोकार एक स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ता ने बताया कि नई जलनीति के तहत वर्ष 2014 के पश्चात नर्मदा का पानी उपयोग करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक है।

[23] मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट http://www.mpinfo.org/mpinfonew/NewsDetails.aspx?newsid=120706N12&flag1= पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह का बयान प्रकाशित था जो अब उपलब्ध नहीं हैं। इसी बयान का संपादित अंश टुडे एमपी वेबसाईट– http://www.todaymp.com/news.php?show=1703 पर 24 नवंबर 2014 को उपलब्ध था।

[24] राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की की वेबसाईट – http://www.nih.ernet.in/rbis/india_information/Narmada%20Water%20Dispute%20Tribunal.htm पर 19 नवंबर 2014 को उपलब्ध दस्तावेज।

इस शर्त को गलत तरीके से प्रस्तुत कर अफवाह फैलाई जा रही है ताकि गैर जरूरी योजना को उचित ठहराया जा सके।

भविष्य की योजना

पिपरिया में यह भी प्रचारित किया गया कि वर्तमान में भले ही नगर में जल संकट न हो लेकिन भविष्य की जरूरत के लिए यह योजना बनाई गई है। लेकिन आँकड़े बताते है कि यह सही आधार नहीं है। पिपरिया में वर्तमान में प्रदाय किये जा रहे 43 लाख लीटर/दिन जल की मात्रा CPHEEO दिशानिर्देशों के सही मानकों के अनुसार 61 हजार जनसंख्या के लिए पर्याप्त है। सलाहकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2022-23 में नगर की जनसंख्या 60,950 हो जाएगी। इस प्रकार अगले 8-9 वर्षों तक नगर में जल संकट की कोई संभावना दिखाई नहीं देती हैं। किसी योजना के लिए एक दशक पहले निवेश किया जाना न तो वित्तीय दृष्टि से सही है और न ही सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से।

हाल ही में प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और नई परिषदें अस्तित्व में आई हैं। इन नवनिर्वाचित परिषदों के लिए चुनौती है कि वे इन योजनाओं के सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार कर इनमें हस्तक्षेप करें तथा जनापेक्षानुरूप बनाने का प्रयास करें। उम्मीद है इस प्रयास में नागरिक भी मूकदर्शक नहीं बने रहेंगें।

संदर्भ

- जेएनएनयूआरएम/यूआडीएसएसमटी के दिशा निर्देश, वित्तीय आवंटन
- मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना और जल निगम से संबंधित नीति निर्देश, सर्कुलर, टेण्डर दस्तावेज
- पिपरिया जलप्रदाय योजना के सलाहकार हेतु की गई टेण्डर प्रक्रिया
- पिपरिया जलप्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रपट
- पिपरिया जलप्रदाय योजना की टेण्डर प्रक्रिया
- पिपरिया जलप्रदाय योजना संबंधी पत्र–व्यवहार
- पिपरिया जलप्रदाय योजना संबंधी नोटशीटें
- पिपरिया नगरपालिका के विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज

यूआडीएसएमटी के तहत स्वीकृत मध्यप्रदेश की योजनाएँ

अ॰क्र॰	नगर	परियोजना	लागत	केन्द्रीय अनुदान	
				स्वीकृत	जारी
1	आगर	जलप्रदाय	1005.80	819.73	819.73
2	आष्ठा	जलप्रदाय	980.40	799.03	799.03
3	आठनेर	जलप्रदाय	1309.90	1047.92	523.96
4	अमरवाड़ा	जलप्रदाय	1609.30	1287.44	643.72
5	अमरवाड़ा	ठोस अप॰ प्रबंधन	128.80	103.04	51.52
6	अनूपपुर	जलप्रदाय	1521.22	1216.98	608.49
7	बाड़ी	जलप्रदाय	785.60	628.48	314.24
8	बैकुण्ठपुर	जलप्रदाय	732.75	586.20	293.10
9	बालाघाट	जलप्रदाय	42830	3426.40	1713.20
10	बलदेवगढ़	जलप्रदाय	1264.80	1011.84	505.92
11	बरकुही	जलप्रदाय	1211.82	969.46	484.73
12	बड़वाह	जलप्रदाय	1704.96	1363.97	681.98
13	बेगमगंज	जलप्रदाय	1392.22	1113.78	556.89
14	बैतूल	जलप्रदाय	3262.07	2609.66	1304.83
15	ब्यावरा	जलप्रदाय	709.47	578.22	578.22
16	बीना	जलप्रदाय	3875.50	3100.40	1550.20
17	बुदनी	जलप्रदाय	194.60	156.85	156.85
18	बुदनी	जलनिकास	195.05	157.99	79.97
19	चाँदामेटा	जलप्रदाय	1432.20	1145.76	572.88
20	छतरपुर	जलप्रदाय	1593.80	1275.04	1275.04
21	छिंदवाड़ा	जलप्रदाय	5732.87	4586.30	2293.15
22	छिंदवाड़ा	जल संरचना	382.87	306.30	153.15
23	चित्रकूट	जलप्रदाय	1319.68	1055.74	527.87
24	चौरई	जलप्रदाय	886.38	709.10	354.55
25	डबरा	जलप्रदाय	1112.10	906.36	906.36
26	डबरा	जलप्रदाय	1441.84	1175.10	1175.10
27	डही	जलप्रदाय	931.80	745.44	372.72
28	दमोह	जलप्रदाय	874.20	699.36	699.36
29	दमोह	जलप्रदाय	130.17	104.14	104.14
30	दमोह	जल संरचना	53.00	42.40	41.52
31	दमोह फेज–2	जलप्रदाय	3715.95	2972.76	1486.38
32	दमुआ	जलप्रदाय	1479.19	1183.35	591.68
33	देवरी	जलप्रदाय	2301.68	1841.34	920.67
34	देवास	जलनिकास	14062.53	11250.02	5625.01
35	देवास फेज–1	जलप्रदाय	5837.00	4757.15	4757.15
36	देवास फेज–2	जलप्रदाय	3975.00	3180.00	1590.00
37	डोंगर परासिया	जलप्रदाय	3013.33	2410.66	1205.33
38	गढ़ाकोटा	जलप्रदाय	596.36	486.04	486.04
39	गुना	जलप्रदाय	7140.42	5712.34	2856.17

40	ग्वालियर	जलनिकास	6650.00	5320.00	2660.00
41	हरदा	जलप्रदाय	1787.00	1456.41	1414.81
42	हर्रई	जलप्रदाय	873.87	699.10	349.55
43	हिंडोरिया	जलप्रदाय	1138.34	910.67	455.34
44	होशंगाबाद	जलप्रदाय	1615.26	1292.21	1292.21
45	जावरा	जलप्रदाय	663.00	537.03	537.03
46	जीरन	जलप्रदाय	549.92	439.94	219.97
47	जुन्नारदेव	जलप्रदाय	2432.07	1945.66	972.83
48	करेली	जलप्रदाय	3550.77	2840.62	1420.31
49	कटनी	जलप्रदाय	4080.95	3295.36	3295.36
50	खण्डवा	जलप्रदाय	10672.30	8537.84	8537.84
51	खिरकिया	जलप्रदाय	1225.70	980.56	490.28
52	खुरई	जलप्रदाय	3662.82	2930.26	1465.13
53	कोलार	जलप्रदाय	5210.42	4168.34	2084.17
54	कोतमा	जलप्रदाय	1799.58	1439.66	719.83
55	लांजी	जलप्रदाय	1825.00	1460.00	730.60
56	लोधीखेड़ा	जलप्रदाय	611.76	489.41	244.70
57	इटारसी	जलप्रदाय	1467.83	1196.28	1196.28
58	इटारसी	जलनिकास	708.43	577.37	294.00
59	महिदपुर	जलप्रदाय	1683.75	1347.00	673.50
60	मैहरगढ़	जलप्रदाय	548.92	439.14	219.57
61	मलाजखण्ड	जलप्रदाय	525.42	420.34	420.34
62	मलाजखण्ड	तुफानी जलनिकास	27.60	22.08	22.08
63	मनावर	जलप्रदाय	1125.60	900.48	450.24
64	मण्डलेश्वर	जलप्रदाय	799.29	639.43	319.72
65	मंदसौर	जलप्रदाय	1552.45	1241.96	1241.96
66	मंदसौर	जलप्रदाय	5636.37	4509.10	2254.55
67	मोहगाँव	जलप्रदाय	848.87	679.10	339.72
68	मुलताई	जलप्रदाय	1929.60	1543.68	771.84
69	मुंगावली	जलप्रदाय	1070.40	856.32	428.16
70	नसरूल्लागंज	जलप्रदाय	488.96	391.17	391.17
71	नीमच	जलप्रदाय	1545.98	1236.78	618.39
72	न्यूटन चिकली	जलप्रदाय	1055.90	844.72	422.36
73	पाढुर्णा	जलप्रदाय	4611.62	3689.30	2577.52
74	पन्ना	जलप्रदाय	1808.37	1446.70	1446.70
75	पीपलराँवा	जलप्रदाय	964.22	771.38	385.69
76	पिपरिया	जलप्रदाय	2408.11	1926.49	1926.49
77	पिपला नारायणवार	जलप्रदाय	773.34	618.67	309.34
78	पिपला नारायणवार	जलप्रदाय	81.20	64.96	32.48
79	पिपलिया मण्डी	जलप्रदाय	968.72	774.98	387.49
80	पोरसा	ठोस अप॰ प्रबंधन	236.47	189.18	94.59
81	पोरसा	जलप्रदाय	959.25	767.40	383.70

82	राजगढ़	जलप्रदाय	1907.76	1526.21	763.11
83	रामपुरा	जलप्रदाय	1956.37	1565.10	782.55
84	रतलाम	जलप्रदाय	3265.10	2661.06	2661.06
85	रेहली (सागर)	जलप्रदाय	602.75	482.20	482.20
86	रेहटी (सीहोर)	जलनिकास	143.48	116.21	58.82
87	रेहटी (सीहोर)	जलप्रदाय	276.48	221.18	221.18
88	रीवा	जलप्रदाय	1427.87	1145.87	1145.87
89	सबलगढ़	तुफानी जलनिकास	980.94	784.75	392.38
90	सागर	जलनिकास	7661.55	6244.16	3179.54
91	सनावद	जलप्रदाय	729.68	590.89	590.89
92	सतना	जलप्रदाय	8087.57	6470.06	3235.03
93	सतवास	जलप्रदाय	1397.40	1117.92	558.96
94	सौंसर	जलप्रदाय	1930.22	1544.18	1544.18
95	सीहोर	जलप्रदाय	1454.52	1185.44	1185.44
96	सिवनी	जलप्रदाय	4735.80	3788.64	1894.32
97	शाहगंज	जलप्रदाय	436.45	349.16	174.58
98	शाहपुरा	जलप्रदाय	1368.66	1094.93	547.46
99	शाजापुर	जलप्रदाय	996.00	804.77	804.77
100	शामगढ़	जलप्रदाय	2374.00	1899.20	949.60
101	शमशाबाद	जलप्रदाय	882.47	705.98	352.99
102	शिवपुरी	जलप्रदाय	5964.66	4861.20	4861.19
103	शिवपुरी	ठोस अप॰ प्रबंधन	649.76	519.81	259.91
104	शुजालपुर	जलप्रदाय	1745.32	1410.22	1410.22
105	सीधी	जलप्रदाय	2118.55	1694.84	847.42
106	सिंगरौली	जलप्रदाय	7795.24	6236.19	3118.10
107	सिरमौर (रीवा)	जलप्रदाय	980.00	784.00	392.00
108	सिरोंज	जलप्रदाय	622.95	506.15	506.15
109	सुवासरा	जलप्रदाय	1764.30	1411.44	705.72
110	तेंदूखेड़ा	जलप्रदाय	1028.64	822.91	411.46
111	टीकमगढ़	जलप्रदाय	983.18	801.29	801.29
112	विदिशा	जलप्रदाय	1557.52	1246.02	1246.03
113	विदिशा	जलनिकास	218.00	174.40	174.40
114	वारासिवनी	जलप्रदाय	2232.00	1785.60	892.80
योग			**236630.25**	**189911.15**	**121310.31**

स्रोत–शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार। सभी आँकड़े लाख रुपए में।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ

क्र.	निकाय का नाम	लागत (लाख रूपये)
1	नगर परिषद, सुल्तानपुर	681.50
2	नगरपालिका परिषद, रायसेन	3317.60
3	नगर परिषद, खिलचीपुर	999.36
4	नगरपालिका परिषद, मण्डीदीप	1110.87
5	नगर परिषद, बाबई	951.62
6	नगर परिषद, टिमरनी	1923.58
7	नगरपालिका परिषद, गंजबासौदा	4216.00
8	नगर परिषद, नौरोजाबाद	1581.00
9	नगर निगम, रीवा	2262.95
10	नगरपालिका परिषद,शहडोल	3614.19
11	नगर परिषद, गुढ	793.00
12	नगर परिषद, टोकखुर्द	484.15
13	नगर परिषद, उन्हेल	1116.00
14	नगर परिषद, सरदारपुर	405.49
15	नगर परिषद, ताल	777.01
16	नगर परिषद, भौरासा	698.24
17	नगर परिषद, करनावद	950.22
18	नगर परिषद, नामली	595.41
19	नगरपालिका परिषद, बड़नगर	1737.15
20	नगरपालिका परिषद, नीमच	3367.75
21	नगरपालिका परिषद, अशोक नगर	1326.71
22	नगर परिषद, खनियाधाना	566.00
23	नगरपालिका परिषद, धार	2174.54
24	नगर परिषद, पंधाना	998.00
25	नगर परिषद, भीकनगॉव	760.93
26	नगर परिषद, राजगढ़ (धार)	898.25
27	नगरपालिका परिषद, बड़वानी	1990.05
28	नगर परिषद, कुक्षी	1848.08
29	नगरपालिका परिषद, झाबुआ	3094.10
30	नगर परिषद, मुंदी	578.92
31	नगर परिषद, बदनावर	952.31
32	नगर परिषद, निवाडी	2103.40
33	नगर परिषद, तरीचरकलां	1493.03
34	नगर परिषद, ओंकारेश्वर	571.94
35	नगरपालिका परिषद, नरसिंहपुर	3217.95
36	नगरपालिका परिषद, मण्डला	2471.17
37	नगर परिषद, डिण्डोरी	843.00
38	नगर परिषद, सांवेर	851.28
39-	नगर परिषद, बड़ौनी	456.36

40-	नगर परिषद, सिंगौली	891.42
41-	नगर परिषद, ओरछा	578.23
42-	नगरपरिषद, अमरकंटक	595.00
43	नगरपालिका परिषद, नौगांव	2780.67
44	नगर परिषद, चाकघाट	453.36
45	नगरपालिका परिषद, सिवनीमालवा	2286.19
46	नगर परिषद, खाचरौद	1628.63
47	नगर परिषद, औबेदुल्लागंज	1343.63
48	नगरपालिका परिषद, पीथमपुर	2766.99
49	नगरपालिका परिषद, सबलगढ़	2120.03
50	नगरपालिका परिषद, सारंगपुर	1353.08
51	नगरपालिका परिषद, अम्बाह	2721.45
52	नगर परिषद, शाहगढ़	895.45
53	नगर निगम, ग्वालियर	480.00
54	नगर परिषद, जावद	1108.26
55	नगर परिषद, सिमरिया	808.48
56	नगर परिषद, पाली	1169.33
57	नगर परिषद, त्यौंथर	1046.86
58	नगर परिषद, मक्सी	1540.39
59	नगर परिषद, हनुमना	1035.34
60	नगर परिषद, रामपुर बघेलान	575.17
61	नगरपालिका परिषद, बैरसिया	1745.98
62	नगरपालिका परिषद, पलेरा	1268.93
63	नगर परिषद, पथरिया	2228.20
64	नगर परिषद, नलखेड़ा	480.33
65	नगर परिषद, बड़ागांव	964.40
66	नगर परिषद, बडौद	844.38
67	नगर परिषद, नारायणगढ़	301.50
68	नगर परिषद, बड़ावदा	691.55
69	नगर परिषद, तराना	799.20
70	नगर परिषद, मनासा	780.85
71	नगर परिषद, रतनगढ़	563.28
72	नगर परिषद, बैहर	84.24
	योग	**97709.91**

स्रोत–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म॰प्र॰ का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2013-14

एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत योजनाएँ

निकाय का नाम	लागत (करोड़ रू.)
सेंधवा	21.41
डीकेन	5.58
पृथ्वीपुर	14.50
दतिया	22.25
लटेरी	10.52
महेश्वर	11.87
अलीराजपुर	13.37
सीहोर	7.00
गरोठ	15.07
सैलाना	4.86
ब्यौहारी	31.00
योग	**157.45**

स्रोत–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म॰प्र॰ का प्रशासकीय प्रतिवेदन 2013-14